सहायक श्रम आयुक्त, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	श्रम विभाग का मुख्य कार्य औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के साथ–साथ श्रमिकों के हितों का संरक्षण किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियम बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, बन्धित श्रम प्रद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (प्रतिषैघ एवं विनियमन) अधि0 1986, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधि0 1970, समान पारिश्रमिक अधि0 1976, कारखाना अधि0 1948, औद्योगिक विवाद अधि0 1947, औघोगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधि0 1946 प्रसूति प्रसुविधा अधि0 1961 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मोटर परिवहन कर्मकार अधि0 1961, बोनस भुगतान अधि0 1965, उपादान सदांय अधि0 1972, मजदूरी भुगतान अधि0 1936, कर्मकार प्रतिकर अधि0 1923, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, अधि0 1962, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 आदि अधि0 विद्यमान है जिसके सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही तथा उल्लघन पर प्राभियोजन/ निर्देशवाद आदि की कार्यवाही की जाती है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।,
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम में निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है, शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन/ निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है कार्यालय जजी का चौराहा बिजनौर में स्थित है विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रवर्तन/ कार्यवाही सम्पादित की जाती है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	सहायक श्रम आयुक्त नियन्त्रक अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में रहकर सभी विभागीय अधिकारी /कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग द्वारा सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेश एवं अधिनियमों /नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।

6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।
9.	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग में कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है एवं राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक सूचना, आंकडे उप श्रमायुक्त मुरादाबाद के माध्यम से श्रम आयुक्त उ0प्र0 कानपुर को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	कोई योजना नही ह।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।

14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	विभाग द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार समय–समय पर कृत कार्यवाही की प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री ए0के0 सिंह सहायक श्रम आयुक्त बिजनौर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी श्री शिव नारायण श्रम प्रवर्तन अधिकारी बिजनौर /श्री एस0पी0 मौर्य श्रम प्रवर्तन अधिकारी धामपुर, सहायक जन सूचना अधिकारी धामपुर / श्री बलवीर बहादुर जोहरी श्रम प्रवर्तन अधिकारी नगीना , सहायक जन सूचना अधिकारी नगीना /श्री रामवीर गौतम श्रम प्रवर्तन अधिकारी नजीबाबाद, सहायक जन सूचना अधिकारी नजीबाबाद।

सहायक श्रम आयुक्त ,
बिजनौर।